2025:CGHC:20147

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 1961/2019

1–मनोज कुमार पिता हरखचंद यादव, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी– गंगा विहार कॉलोनी, अमलीडीह, (सुरेश किराना स्टोर्स के पास) थाना तेलीबांधा, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़.....आवेदक।

2– तरूण कुमार पिता हरखचंद यादव, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी– गंगा विहार कॉलोनी, अमलीडीह, (सुरेश किराना स्टोर्स के पास) थाना तेलीबांधा, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़.....आवेदक।

... अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1– राम मिलन सिंह पिता शिवराम राजपूत द्वारा: चन्द्रकाश पिता स्व.रामवृक्ष राय, निवासी प्लॉट नंबर 526 स्ट्रीट 5 बी शांति नगर भिलाई, थाना सुपेला, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ट्रक क्रमांक CG–07 BB–8710 का **वाहन चालक**.....अनावेदक

2– नम्रता प्रकाश राय पति चंद्रप्रकाश राय, निवासी प्लॉट नंबर 526 स्ट्रीट 5 बी शांति नगर भिलाई, थाना सुपेला, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। ट्रक क्रमांक CG–07 BB–8710 का **स्वामी**।

3– फ्यूचर जनरल इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वाराः प्रभारी अधिकारी, प्रथम तल बिजनेस पार्क, ब्लॉक नंबर 17, प्लॉट नंबर 8, एफ–एफ 9 ठाकुर प्यारेलाल वार्ड रायपुर थाना आजाद चौक रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ ट्रक क्रमांक CG–07 BB–8710 का **बीमाकर्ता**।

...प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री राकेश ठाकुर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी 1 और 2 की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से : श्री सौरभ शर्मा अधिवक्ता की ओर से श्री सौरभ गुप्ता, अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल)

बोर्ड पर निर्णय

02/05/2025

1. यह अपील मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 173 (संक्षेप में "एमवी एक्ट") के अधीन विद्वान अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 42/2017 में दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को पारित अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है।

2. एमवी अधिनियम की धारा 166 के अधीन प्रस्तुत दावा आवेदन की अभिवचनों के अनुसार, दावाकर्ता मृतक हरकचंद यादव के पुत्र हैं, जो बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। दिनांक 05.09.2016 को लगभग अपराह्न 4.20 बजे, प्रत्यर्थी क्रमांक 1, जो दुर्घटना कारित करने वाला ट्रक क्रमांक CG–07 BB–8710 चला रहा था, ने तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक वाहन चालाते हुए पावर हाउस बस–स्टैंड, थाना छावनी, जिला दुर्ग के पास मोटर सायकल क्रमांक CG 04–DY–9447 को टक्कर मार दी। जिसके परिणामस्वरुप, मोटरसायकल सवार हरकचंद यादव और मनभावती यादव को गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र और विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण दावाकर्तागण ने विभिन्न मदों में कुल 26,50,000 रुपये का क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए दावा आवेदन प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विद्वान दावा अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि दावाकर्ता क्रमशः 40 और 38 वर्ष की आयु के विवाहित व्यक्ति हैं और वे मृतक की पेंशन पर आश्रित नहीं थे, अतः दावाकर्ता मृतक की मृत्यु के कारण आश्रितता की हानि हेतु क्षतिपूर्ति पाने के हकदार नहीं हैं, यद्यपि, सभी मदों पर 75,000 रुपये की एकमुश्त राशि अधिनिर्णीत की गई ।

4. अपीलार्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतक एक सेवानिवृत्त कर्मचारी था और दुर्घटना के समय 23,389 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा था और दावाकर्तागण अपने पिता पर आश्रित थे। आगे उनका तर्क है कि भले ही वयस्क, विवाहित और कमाने वाले पुत्र मृतक पर पूर्णतः आश्रित न हों, फिर भी वे विधिक प्रतिनिधियों के रूप में हकदार हैं और दावा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें क्षतिपूर्ति से वंचित न किया जाए, यद्यपि, अधिकरण ने उचित क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने के लिए मृतक की आय को अवधारित न कर केवल 75,000 रुपये की एकमुश्त राशि अधिनिर्णीत करने में घोर त्रुटि की है।

5.1 प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता ने अधिनिर्णय का समर्थन किया और तर्क किया कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अधिकरण ने उचित रुप से अधिनिर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनका तर्क है कि चूंकि दावाकर्ता वयस्क और विवाहित व्यक्ति

हैं और उनके पास अपनी आजीविका का अपना स्रोत होना चाहिए, अतः अधिकरण ने उचित रुप से अभिनिर्धारित किया है कि दावाकर्ता मृतक पिता की कमाई पर आश्रित नहीं थे।

5.2 आगे उनका तर्क है कि भले ही दावाकर्तागण को मृतक का आश्रित माना जाता है, परंतु मृतक द्वारा प्राप्त की जा रही मासिक पेंशन को आश्रितता की गणना करते समय घटा दिया जाना चाहिए, एतद्द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया, उनके द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया गया और अभिलेखों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया।

7. अब यह न्यायालय इस तथ्य का परीक्षण करेगा कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत 75,000/– रुपए की एकमुश्त राशि प्रकरण के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में उचित एवं न्यायसंगत क्षतिपूर्ति है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक बी.एस.एन.एल. का सेवानिवृत्त कर्मचारी था और उसे 23,389/– रुपए मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा था। चूंकि दावाकर्ता क्रमशः 40 और 38 वर्ष के विवाहित व्यक्ति हैं, इसलिए वे मृतक की पेंशन पर आश्रित नहीं थे और इसलिए वे मृतक की मृत्यु के कारण आश्रितता की हानि हेतु क्षतिपूर्ति पाने के हकदार नहीं हैं। यद्यपि अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक हरकचंद की मृत्यु दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है और उसकी आयु लगभग 65 वर्ष थी, इसलिए दावाकर्ता अपने पिता के प्रेम और स्नेह से वंचित हो गए हैं और उन्हें संपदा की हानि हुई है और उन्हें उनके दाह संस्कार का व्यय उठाना पड़ा। ऐसी स्थिति में, उसने सभी मदों से 75,000/– रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध बिरेंद्र एआईआर 2020 एस,सी 434** में इसी प्रकार के विवाद्यक पर विचार किया था और अभिनिर्धारित किया था कि मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़े प्रकरणों में मृतक के वयस्क,विवाहित और कमाने वाले पुत्र या पुत्रियों (या अन्य विधिक प्रतिनिधियों) को भी क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र है और अधिकरण को उनके आवेदन पर विचार करना चाहिए, भले ही वे मृतक पर पूर्णतः आश्रित हों या न हो।

10. हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने **नरिंदर कौर विरुद्ध जगमीत सिंह 2025 एसीजे 357** प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि आश्रितता, आश्रितता की हानि हेतु क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए एक सापेक्ष मानदंड है, किंतु यह वित्तीय आश्रितता तक सीमित नहीं है। आश्रितता में नि:शुल्क

सेवा आश्रितता, शारीरिक आश्रितता, भावनात्मक आश्रितता और मनोवैज्ञानिक आश्रितता शामिल है, जिसे पैसे के प्रकरण में समान नहीं किया जा सकता। पैरा 22, 23 और 24 सुसंगत हैं और नीचे उद्धृत किए गए हैं:

> 22. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि मृतक के पुत्र वयस्क हो चुके हैं और उन्हें अपना जीवन जीना चाहिए तथा मृतक करनैल सिंह के पिता के पास भी आजीविका का अपना साधन होना चाहिए, इसलिए वे मृतक की कमाई पर आश्रित नहीं थे और इसलिए उन्हें क्षतिपूर्ति देने से इनकार किया जाना चाहिए। यद्यपि, उपरोक्त तर्क उचित नहीं है।
>
> 23. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतक के दोनों पुत्र वयस्क हैं और मृतक करनैल सिंह के पिता बलबीर सिंह के प्रकरण में क्षतिपूर्ति की मांग भी की गई है, परंतु यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वे मृतक पर आश्रित नहीं थे। **यह विचार किया जाना चाहिए कि भारतीय समाज में संतानें और माता–पिता जीवन के विभिन्न चरणों में एक–दूसरे पर आश्रित रहते हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि आश्रित शब्द का भिन्न अर्थ है। कुछ लोग धन की दृष्टि से व अन्य सेवा की दृष्टि से आश्रित हो सकते हैं**
>
> 24. **इस प्रकार, आश्रितता की हानि हेतु क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए आश्रितता एक सापेक्ष मानदंड है। इसका तात्पर्य केवल वित्तीय नहीं है। इसमें नि:शुल्क सेवा आश्रितता, शारीरिक आश्रितता, भावनात्मक आश्रितता, मनोवैज्ञानिक आश्रितता और इसी प्रकार की अन्य चीजें भी शामिल हैं, जिसकी तुलना कभी भी धन से नहीं की जा सकती। इस प्रकार, मृतक के वयस्क पुत्रों और मृतक करनैल सिंह के पिता को भी क्षतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।** ....."
>
> **(बल दिया गया)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अब प्रश्न यह है कि क्या आश्रितता की हानि की गणना करते समय पेंशन/पारिवारिक पेंशन में कटौती की जा सकती है?

12. इसी प्रकार के विवाद्यक पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **हेलेन सी. रेबेलो विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, 1999 एसीजे 10 (एससी)** में निम्नानुसार अवधारित किया:

"(37) व्यापक रुप से, हम भविष्य निधि के रसीद का परीक्षण कर सकते हैं जो किसी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा अवधि के दौरान किए गए अंशदान में से एक आस्थगित भुगतान है। ऐसे कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी आकस्मिक मृत्यु के बावजूद इस राशि को प्राप्त करने के हकदार हैं। यह राशि सुरक्षित है, प्राप्त होना निश्चित है, जबकि मोटरयान अधिनियम के अधीन राशि अनिश्चित है और केवल घटनाओं के होने पर ही प्राप्त होती है, जैसे दुर्घटना, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार, पारिवारिक पेंशन भी एक कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के लाभ के लिए सेवा में अपने योगदान के रूप में अर्जित की जाती है, जो उसकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवा शर्तों के अनुसार होती है। उत्तराधिकारी आकस्मिक मृत्यु के अतिरिक्त अन्य स्थिति में भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं। दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार, जीवन बीमा पॉलिसी की राशि बीमाधारक या बीमाधारक के उत्तराधिकारियों द्वारा बीमाकर्ता के साथ अनुबंध के कारण प्राप्त की जाती है, जिसके लिए, बीमाधारक प्रीमियम के रूप में योगदान देता है। यह बीमाधारक को भी प्राप्त होता है यदि वह सभी प्रीमियम का भुगतान करने के बाद परिपक्वता तक जीवित रहता है। मृत्यु के प्रकरण में, बीमाकर्ता भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार, उत्तराधिकारियों को राशि का भुगतान करने के लिए क्षतिपूर्ति करता है। पुनः, यह राशि दावाकर्ता को किसी आकस्मिक मृत्यु के कारण नहीं बल्कि बीमाधारक की मृत्यु पर अन्यथा प्राप्त होती है। मृत्यु अनुबंध की शर्तों के अनुसार राशि प्राप्त करने के लिए केवल एक कदम या आकस्मिकता है...."

(बल दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इसके अतिरिक्त **माननीय उच्चतम न्यायालय ने लाल देई विरुद्ध हिमाचल रोड ट्रांस. कॉर्पोरेशन 2008 एसीजे 1107 (एससी)** में हेलेन सी. रेबेलो (पूर्वोक्त) में की गई टिप्पणियों को दोहराया एवं निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"(4) अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आश्रितता की गणना करते समय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण और उच्च न्यायालय ने भी पारिवारिक पेंशन राशि में कटौती करने में त्रुटि की है। हम पाते हैं कि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क उचित है। **मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा भी दावाकर्तागण की आश्रितता की गणना करते समय परिवार को**

दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन की राशि में कटौती नहीं जा सकती थी। हेलेन सी. रेबेलो विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, 1999 एसीजे 10 (एससी) में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से इस प्रश्न पर विचार किया है और व्यक्त किया है कि **पारिवारिक पेंशन एक कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के लाभ के लिए सेवा में अपने योगदान के रूप में अर्जित की जाती है, जो उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवा शर्तों के अनुसार होती है। उत्तराधिकारी आकस्मिक मृत्यु के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं। दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं है। अतः दावाकर्तागण को दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति की गणना करते समय परिवार को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन राशि में कटौती नहीं की जा सकती**। इसे दृष्टिगत रखते हुए, अपील स्वीकार की जाती है। पारिवारिक पेंशन में कटौती का आदेश अपास्त किया जाता है।

(बल दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपर्युक्त प्रकरण को कई प्रकरणों में दोहराया गया है, जिसमें पारिवारिक पेंशन के कारण कटौती से इनकार किया गया था। इस प्रकार, स्थिति सुस्पष्ट हो जाती है कि आश्रितता की हानि और दावाकर्तागण को दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति की गणना करते समय पेंशन/पारिवारिक पेंशन में कटौती नहीं की जानी चाहिए।

14. वर्तमान प्रकरण में, पारंपरिक मदों के तहत दी गई अल्प एकमुश्त राशि को दृष्टिगत रखते हुए, विद्वान अधिकरण द्वारा इस प्रकार निर्धारित क्षतिपूर्ति का क्षतिपूर्ति की गणना के पुनर्मूल्यांकन द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

15. अधिकरण ने दावा याचिका में की गई अभिवचनों के आधार पर यह तथ्य अभिलिखित किया है कि मृतक की आयु लगभग 65 वर्ष थी और सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के नाते उसे 23,389 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार 23,389/– रुपये मासिक पेंशन के हिसाब से मृतक की कुल वार्षिक आय 2,80,668/– रुपये होती है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में 2,50,000/– रुपये तक कर से छूट प्रदान की गई थी और उसके बाद 5 लाख तक 10% कर लगाया गया था। इस प्रकार कर योग्य आय 30,668/– रुपये होगी और उस पर देय कर 3066.80 रुपये या कहें 3067/– रुपये होगा। कर कटौती के बाद, मृतक की शुद्ध वार्षिक आय **2,77,601/–** रुपये (2,80,668 घटकर 3,067) होगी। मृतक के आश्रितों की संख्या को विचार में रखते हुए, **सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम (2009) 6 एससीसी 121** के अनुसार, व्यक्तिगत व्यय के लिए 1/3 की सीमा तक कटौती की जानी चाहिए। व्यक्तिगत व्यय के लिए एक तिहाई कटौती के बाद, वार्षिक आश्रितता **1,85,067/–** रुपये (2,77,601 घटकर 92,534/– रुपये) आती है। सरला वर्मा के प्रकरण के अनुसार, मृतक की आयु

को विचार में रखते हुए, लागू किया जाने वाला उपयुक्त गुणक 7 है और इसे लागू करने पर, आश्रितता की कुल हानि (1,85,067 x 7) **12,95,469/–** रुपये होती है।

16. अन्य मदों के अंतर्गत, दावाकर्ता संपदा की हानि हेतु 15,000/– रुपये, अंतिम संस्कार व्यय हेतु 15,000/– रुपये पाने के हकदार हैं और **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध नानू, एआईआर ऑनलाइन 2018 एससी** के अनुसार, प्रत्येक दावाकर्ता प्रेम और स्नेह के हानि के लिए 40,000/– रुपये पाने का हकदार है। इस प्रकरण में, 2 दावाकर्ता हैं, अतः दावाकर्ता कुल **14,05,469/–** रुपये के क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे। उपरोक्त विमर्श के दृष्टिगत, मृतक की मृत्यु के कारण दावाकर्तागण को देय क्षतिपूर्ति की पुनर्गणना निम्नानुसार की जाती है:

1.	आश्रितता की हानि हेतु	रु. 12,95,469/–
2.	संपदा की हानि हेतु	रु. 15,000/–
3.	प्रेम और स्नेह हेतु @रु. 40,000/–	रु. 80,000/–
4.	अंतिम संस्कार व्यय	रु. 15,000/–
	कुल	**रु.14,05,469/–**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इसलिए कुल क्षतिपूर्ति राशि 14,05,469/– रुपये पुनर्गणित की गई है। जिसमें से अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत 75,000/– रुपये की कटौती के बाद, 13,30,469/– रुपये की वृद्धि होगी। तदनुसार, दावाकर्ता दावा अधिकरण द्वारा पूर्व अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त **13,30,469/–** रुपये की वर्धित राशि के हकदार हैं। वर्धित राशि पर अधिनिर्णय में वृद्धि की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

18. फलस्वरूप, अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। आक्षेपित निर्णय को उपरोक्त दर्शित सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

19. रजिस्ट्री को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वह अधिकरण द्वारा अधिसूचित राशि के विरुद्ध इस अपील में दावाकर्तागण को लिखित रूप में "वर्धित राशि" बताए। उक्त संचार हिंदी देवनागरी भाषा में किया जाए तथा संबंधित क्षेत्र, जहां दावाकर्ता रहते हैं के विधिक सहायता सचिव के समन्वय से पैरा–लीगल कार्यकर्ताओं की सहायता ली जाए।

सही/–

संजय कुमार जायसवाल

न्यायाधीश

MAC No. 1961 of 2019

(Manoj Kumar & another **Versus** Ram Milan Singh and others)

Head Notes

(1) In motor accident claim cases, even the major, married and earning sons or daughters (or other legal heirs) of the deceased have right to apply for compensation and the Tribunal must consider their cases despite they being fully dependent on the deceased.

मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में यदि मृतक के पुत्र या पुत्री वयस्क, विवाहित और कमाने वाले हैं, तो भी वे मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। ट्रिब्यूनल को उनके मामलों पर विचार करना चाहिए, भले ही वे मृतक पर पूर्णतः आश्रित न रहे हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) Pension/family pension ought not to be deducted while working out the loss of dependency and the compensation to be granted to the claimants.

पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि को आश्रितता की हानि और मुआवजा की गणना करते समय घटाया नहीं जाना चाहिए।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**